



43

Ad - 1795-II-16

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल, खालियर जिला खालियर (मोप्र)

प्रकरण क्रमांक / 2016 पुनरीक्षण याचिका

श्रीमती नमिता पलोड पत्नी श्री बृजकिषोर
पलोड, निवासी अस्पताल रोड, विदिषा म.प्र.

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, विदिषा म.प्र.
..... अनावेदक
2. श्रीमती संध्या पलोड पत्नी श्री स्व.
श्यामसुन्दर पलोड, निवासी - हॉस्पिटल
रोड, विदिषा, म.प्र.

...तरतीवी प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 56 (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 विरुद्ध
आदेश दिनांक 17/11/2015 पारित न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प,
विदिषा म.प्र. मुद्रांक प्रकरण क्रमांक 44/बी-103/2015-16 जिसके द्वारा
पुनरीक्षणकर्ता को मुद्रांक शुल्क जमा करने हेतु आदेषित किया गया है। अबै-म-म

माननीय न्यायालय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नांकित सादर प्रस्तुत है:-

1. यहकि, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक प्लॉट सन् 1998 में अनावेदक क्रं 2 के पति
श्री श्यामसुन्दर पलोड से क्रय किया गया था।
2. यहकि, उक्त प्लॉट क्रय करने के उपरान्त दिनांक 1.6.2010 को विधिवत
उस प्लॉट का नामातंरण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने हित में शासकीय
अभिलेखो में कराया।
3. यहकि, पुनरीक्षणकर्ता उक्त दिनांक से विवादित प्लॉट के कब्जे एवं
आधिपत्य में है और उक्त प्लॉट पर आज दिनांक तक किसी के द्वारा कोई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1795/एक/2016

जिला-बिदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-6-16	<p>यह पुनरीक्षण आवेदक छारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प बिदिशा छारा प्रकरण क्रमांक 44/बी-103/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक छारा एक प्लॉट सन् 1998 में अनावेदक क्रमांक 2 के पति स्व. श्री श्याम सुब्दर पलोड से क्रय किया गया था क्रय करने के उपरान्त दिनांक 01.06.2010 को विधिवत् नामान्तरण आवेदक शासकीय अभिलेखों में किया गया तब से विवादित प्लॉट पर आवेदक का कब्जा एवं अधिपत्य है सन् 1998 में उक्त सम्पत्ति के विक्रय पत्र में सम्पत्ति का बाजार मूल्य कम होने से तत्कालीन उपर्युक्त बिदिशा के अनुसार उक्त सम्पत्ति संबंधित सभी दस्तावेज भारतीय स्टाम्प एकट की धारा 47 (क) (1) के अन्तर्गत उचित बाजार मूल्य निर्धारण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रेषित किये गये। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प छारा सभी सम्पत्ति में अवमूल्यन पाया गया और सम्पत्ति का बाजार मूल्य 13,40,500/- रुपये निर्धारित किया गया तथा कमी मुद्रांक शुल्क 1,13,350/- वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई। दूसरा विक्रय पत्र दिनांक 21.08.1998 में सम्पत्ति का बाजार मूल्य 14,11,500/- निर्धारित किया गया कमी मुद्रांक शुल्क 1,19,936/- की वसूली हेतु आर.आर.सी.</p>	

(M)

5/2

जारी की गयी। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश दिनांक 17.

11.2015 आदेशित किया कि कुल 35,09,610/- रुपये अधिरोपित कर कुल कमी मुद्रांक शुल्क 70,19,220/- रुपये अदा करने का आदेश दिया गया। इसी आदेश के विलक्ष यह पुनरीक्षण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि निम्न न्यायालय ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत जबाब एवं दरतावेजों का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है विवादित भूमि पर आवेदक का पेट्रोल पम्प स्थापित है तथा उसका उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है प्रतिकूल कब्जे के संबंध में आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय वर्ग । बिदिशा के समक्ष दावा क्रमांक 7ए/2012 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें दिनांक 20.07.2012 को उभय पक्षों के मध्य राजीनामा हुआ था और आवेदक के पक्ष में डिक्री सम्पादित की गयी थी जिसके अनुसार आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर नगर पालिका द्वारा प्रकरण में उचित विचारण न करते हुये प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रेषित किया जिसके आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण की वास्तविक स्थिति का विचारण किये बिना ही पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 जो विधि एवं प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने से विरस्त किये जाने योग्य है अंत में उनके द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।


4- अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया है कि वर्तमान प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला बिदिशा द्वारा विधिवत् विचार करने के पश्चात् आदेश पारित किया है जिसमें आवेदक को सुनवाई का

पर्याप्त अवसर दिया गया है ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री के पालन में नामान्तरण किये जाने बावजूद आवेदन पत्र नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत किया था किन्तु नगर पालिका द्वारा उपरोक्त आवेदन पर विधिवत् निराकरण नहीं किया। बल्कि प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को स्टाम्प शुल्क निर्धारण हेतु प्रेषित किया गया। जबकि नगर पालिका के समक्ष प्रकरण में केवल नामान्तरण किये जाने के संबंध में था और वह भी व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर ऐसी स्थिति में उचित विचारण किये बिना नगर पालिका द्वारा प्रकरण को बिना किसी कारण के कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रेषित किया गया। जोकि प्रकरण के विचारण की उचित प्रक्रिया नहीं है कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण की वास्तविक स्थिति को नजर अंदाज कर स्टाम्प डयूटी निर्धारित की गयी है, जबकि आवेदक के पक्ष में व्यवहार न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गयी है, ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश पारित कियां हैं। वह उचित नहीं है कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का यह निष्कर्ष कि भूमि का निर्धारित बाजार मूल्य कम था इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है। इसका प्रमाण भार भी उन्हीं पर था, जो उनके द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में 1994 आर.एन. 189 एवं 1994 आर.एन. 324 का न्यायदृष्टिंत विचारणीय है। इसी प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा अपने विवेक का उचित उपयोग नहीं किया है। इस सम्बन्ध में 2008 (3) एल.एस.सी.टी. 100

का व्यायदृष्ट्यांत प्रस्तुत किया गया। 2009 (1) एम.पी.जे.आर शोर्ट नोट 1 में उच्च व्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 38 एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) (ई) अवार्ड के अपंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गयी एवं अवार्ड व्यायालय का जयपत्र हो गया है - निष्पादन व्यायालय जयपत्र के पीछे नहीं जा सकता एवं निष्पादन व्यायालय इस आधार पर निष्पादन से इंकार नहीं कर सकता। कि अवार्ड अपंजीयक कृत था। ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित होने से रियर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचनों के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प बिहिंशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/बी-103/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है।



संदर्भ